International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 12, Dec 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कम्पनी सरकार और आदिवासी प्रतिरोध झारखण्ड के विशेष संदर्भ में

मसकलन तोपनो, शोधार्थी,
विष्वविधालय इतिहास विभाग, राँची विष्वविधालय, राँची

1767 ई० में इलाहाबाद की संधि के साथ ही ईस्ट इण्डिया कॉम्पनी को बंगाल पर दिवानी अधिकार प्राप्त हुआ । इस समय बंगाल सूबा के अंतर्गत ही बिहार,बंगाल और ओडिशा के सभी क्षेत्र आते थे । झारखण्ड का क्षेत्र भी बिहार के अंतर्गत बंगाल सूबा का ही भाग था । दिवानी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा पुरे बंगाल में प्रशासनिक परिवर्तन किये गये । इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप झारखण्ड के क्षेत्र में विद्रोहों की एक लंबी शृंखला चल पड़ी । पुरे कम्पनी शासन काल के दौरान झारखण्ड का क्षेत्र विभिन्न आदिवासी विद्रोहों से अशांत रहा ।

इस शोध आलेख में उपरोक्त विद्रोहों पर चर्चा की जाएगी । साथ ही साथ इन विद्रोहों के प्रमुख कारणों और विद्रोहों के परिणामों पर प्रकाश डाला जाएगा ।

कुंजी शब्दः संथाल, पोरहाट, सिंहभूम, पंच–परगना ।

2000 का वर्ष पुरी दुनिया एक नई सदी में प्रवेश कर चुकी थी, इसी समय भारत के एक राज्य बिहार में अत्यधिक हलचल मची हुई थी, क्योंकि बिहार को विभाजित कर एक नए राज्य का निर्माण किया जा रहा था । इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया । यह दक्षिणी बिहार के 18 जिलों को पृथक कर 15 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह राज्य वनों पहाड़ों नदियों झरनों से आच्छादित है । घने पहाड़ों नदियों के किनारे कई गांव बसे हुए हैं जो राज्य की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं । यह राज्य अपनी सुंदरता ही नहीं वरन अपने खनिज संपदाओं के लिए भी प्रसिद्ध है । यह राज्य पूरे देश का लगभग 40□ खनिज अपने अंदर समेटे हुए हैं ।

झारखंड राज्य में विभिन्न जाति समूह और धर्म के लोग निवास करते हैं । यहां निवास करने वाले लोगों में 2011 की जनगणना के अनुसार 26: जनसंख्या आदिवासी समूहों की है। इसी जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 प्रकार के आदिवासी समूह निवास करते हैं । ये आदिवासी शांत संयमित खुशी खुशहाली और स्वतंत्रता का जीवन जीने में विश्वास रखते हैं । हालांकि जब कभी भी इनके जीवन शैली पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया इन्होंने अत्यधिक तीव्रता के साथ इसका प्रतिरोध किया है। इन्हीं प्रतिरोधों को हम औपनिवेशिक काल में विभिन्न आदिवासी विद्रोह के रूप में देखते हैं ।

ईस्ट इंडिया कंपनी और झारखंड

1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ । इस समय झारखंड का यह क्षेत्र बंगाल सुबा के एक भाग के रूप में अवस्थित था । इस समय झारखंड में कई छोटे–छोटे राजवंशों का शासन था, जिसमें छोटानागपुर के नागवंशी, सिंहभूम के सिंह और पलामू के चेरो प्रमुख है । विभिन्न राजवंसों के शासन के होने के पश्चात भी इस क्षेत्र में कोई व्यवस्थित कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है ! परंपरा अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहां के निवासी स्वयं स्वेच्छा से ही स्थानीय राजाओं को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए फसल का कुछ भाग दान स्वरूप भेंट करते थे । मध्यकाल में भी मुस्लिम शासको के समय यह क्षेत्र स्वतंत्र रूप से विकसित

होता रहा, कभी–कभी मुगल सेनापतियों के द्वारा क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता था लेकिन वे भी केवल नजराना प्राप्त करके ही वापस लौट जाते थे। इस प्रकार आरंभिक काल से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार प्राप्त होने तक इस क्षेत्र के निवासी स्वतंत्रता और शांति के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे । लेकिन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी अधिकार मिलने के साथ ही इस क्षेत्र में विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ी ।

विद्रोह का आरंभ

इस क्षेत्र में पहला आदिवासी विद्रोह 1767 ईस्वी में चुआर विद्रोह के रूप में होता है । झारखंड के सिंहभूम और मानभूम जिले में भूमिज आदिवासी निवास करते है इन्ही भूमिजों को अंग्रेज चुआर कहकर बुलाते थे ! इन्होंने ही 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह किया । *इतिहासकारों के अनुसार विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा उनकी पुसतैनी जमीनों को हड़प कर इन्हें जमींदारों के पास बेचना एवं जमीनों पर नए लोगों को बसाया जाना था* [1] यह विद्रोह 1800 ईस्वी तक चलता रहा । लगभग इसी समय पलामू में भी एक व्यापक विद्रोह चेरो आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा था । चेरो लोग विगत कई वर्षों से पलामू में शासन कर रहे थे । इस समय वहां के शासक भूषण सिंह चेरो थे । जो चेरोओं में अत्यधिक लोकप्रिय था। कंपनी सरकार ने भूषण सिंह को उसके पद से पदच्युत कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1800 ईस्वी में भूषण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह आरंभ हुआ । *अंततः 1802 ई० में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई।*[2]

जिस समय सिंहभूम, मानभूम और पलामू के आदिवासी विभिन्न विद्रोह के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिरोध कर रहे थे। उसी समय वर्तमान संथाल परगना के पहाड़िया आदिवासी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एकत्रित हो रहे थे । पहाड़िया मूल रूप से राजमहल के पहाड़ियों में निवास करते थे । इन्हीं पहाड़िया आदिवासी समूह से आने वाले तिलका मांझी ने 1784 ईस्वी में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का आव्हान किया । ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग राजमहल के क्षेत्र में प्रवेश के साथ ही पहाड़ियाओ के विरोध का सामना कर रहे थे । कंपनी ने पहाड़ियाओं को अपना समर्थक बनाने के लिए क्लीवलैंड को नियुक्त किया । *क्लीवलैंड ने पहाड़ियों के गांव के मुखियाओं को प्रतिमाह 10 रुपये का भत्ता कंपनी की ओर से दिलाना आरंभ कर दिया।*[3] इससे कई पहाड़िया कंपनी के समर्थक बन गए । परंतु कुछ पहाड़िया लगातार कंपनी के नीतियों का विरोध कर रहे थे । विरोध करने वालों का नेतृत्व तिलका मांझी कर रहे थे ! क्लीवलैंड की नीति के कारण कंपनी समर्थक पहाड़िया और और कंपनी विरोधी पहाड़ियों के मध्य संघर्ष होने लगा । अंततः कंपनी विरोधी पहाड़ियों को पीछे हटना पड़ा ! लेकिन तिलका मांझी छुपते छुपते भागलपुर जा पहुंचा । भागलपुर जहां पर क्लीवलैंड निवास करते थे । भागलपुर में एक पेड़ पर वह कई दिन तक भूखा प्यासा रहा और एक दिन उसने अवसर पाकर क्लीवलैंड पर तीर चला दिया। अंततः तिलका मांझी को गिरफ्तार कर भागलपुर के बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई ।

उपरोक्त विद्रोह के कुछ समय बाद ही पंच–परगना क्षेत्र अर्थात तमाड़ के मुंडा आदिवासियों ने भी विद्रोह कर दिया । पंच परगना क्षेत्र झारखंड के रांची जिला के दक्षिणी भाग को कहा जाता है । यह विद्रोह 1819–20 ईस्वी में किया गया था । इस विद्रोह के कारणों को विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्रोह का प्रमुख कारण कंपनी सरकार की नीतियां ही थी । ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण छोटा नागपुर के राजाओं की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी ! इस कारण से वे आदिवासियों के गांव के पट्टे बाहरी लोगों को देने लगे । *यह बाहरी लोग आदिवासियों पर तरह–तरह के अत्याचार करने*

लगे।[4] इतनी अत्याचारों के विरुद्ध पंच परगना के तमाड़ क्षेत्र के मुंडाओं ने गुरुदेव और कोंता मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया।[5]

यह विद्रोह शांत हुआ ही था कि सिंहभूम में पुनः 1820–21 में आदिवासियों के द्वारा व्यापक विद्रोह किया गया । ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1820 ईस्वी में सिंहभूम के पश्चिमी भाग को नियंत्रित करने का प्रयास किया । *इस समय सिंहभूम के पोड़ाहाट राजा घनश्याम सिंह थे।[6] घनश्याम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लिए और कंपनी सरकार को 101 रुपए कर देना स्वीकार कर लिया।[7]* ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करने के साथ ही घनश्याम सिंह ने कंपनी से एक संधि कर ली । संधि के एक प्रमुख शर्त यह थी कि कंपनी वहां निवास करने वाले हो आदिवासियों को राजा के अधीन लाने में सहायता करेंगे । *क्योंकि पिछले कई वर्षों से हो आदिवासी उसे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निवास कर रहे थे।[8]* उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब मेजर रफसेज ने इन आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश किया तो हो आदिवासियों ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया ।

1820 के हो विद्रोह के दमन के पश्चात पुनः 1831–1832 ई में एक और व्यापक विद्रोह का आरंभ क्षेत्र से हुआ । इस विद्रोह का आरंभ भले ही सिंहभूम से हुआ परंतु इसका प्रभाव संपूर्ण छोटानागपुर, पलामू में भी व्यापक रूप से पड़ा । उपरोक्त विद्रोह में मुंडा, उरांव, हो, चेरो इत्यादि आदिवासियों में अपनी भागीदारी दिखाई। यह विद्रोह इतिहास में कोल विद्रोह के रूप में जाना गया । विद्रोह का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट पता चलता है की विद्रोह के मूल में कंपनी सरकार की नीतियां ही थी। इस समय छोटा नागपुर के राजा जगन्नाथ शाहदेव थे। *उन्होंने ही पहली बार छोटानागपुर में बाहरी ठेकेदारों को लगान वसूली के लिए इस क्षेत्र के गांवों को ठीके पर दिए।[9] इसके साथ ही वह व्यापारियों से कीमती कपड़ों को खरीदता था और बदले में वह व्यापारियों को आदिवासी गांव ठेके पर देने लगा ।[10]* 1831 ई तक आते–आते यह ठेकेदार कंपनी सरकार के एजेंट बन चुके थे इनका प्रमुख कार्य इस समय तक आदिवासियों से अत्यधिक मात्रा में कर की वसूली था । *इस समय बंगाल सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी रहे "जे थॉमसन" आदिवासियों की स्थिति के बारे में लिखते हैं "आदिवासियों पर आदिवासियों पर लुट दंड और उत्पीड़न की प्रक्रिया तब तक चलती रहती थी, जब तक की आदिवासी गांव छोड़कर भाग नहीं जाता था ।"[11]* ऐसे परिवेश में कुछ और घटनाएं घटी जिन्होंने बारूद के ढेर में चिंगारी का कार्य किया। यह एक व्यापक विद्रोह था । इस विद्रोह में हजारों की संख्या में आदिवासी मारे गए । मृत्यु का आंकड़ा यह बताने के लिए काफी है कि विद्रोह का स्वरूप कितना व्यापक था। इस विद्रोह के परिणाम स्वरुप ही 1837 में रेगुलेशन गपपप के द्वारा एक नॉन रेगुलेशन प्रांत का गठन किया गया । *इस नॉन रेगुलेशन प्रांत को साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा गया और इस क्षेत्र के लिए गवर्नर के एजेंट के रूप में कैप्टन विलकिंनसन को नियुक्त किया गया।[12]*

कोल विद्रोह के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के प्रतिरोध का एक भयानक रूप 1855–56 ईस्वी को प्रदर्शित हुआ। यह विद्रोह 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के पूर्व का विद्रोह था । इस विद्रोह को इतिहासकारों ने संथाल–हूल की संज्ञा दी है । इतिहासकारों नें इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण महाजनों की लूट को बताया । लेकिन व्यापक स्तर पर विश्लेषण करने पर यह परिलक्षित होता है कि इस लूट के मूल में अंग्रेजों की नीतियां ही थी । *कंपनी की भू बंदोबस्ती और मुद्रा के प्रचलन ने संथालों को इस स्थिति में ला दिया था कि वह महाजनों से कर्ज ले ।[14] संथालों द्वारा लिए गए कर्ज में सूद की दर भारी मात्रा में होती थी । एक अंग्रेज अधिकारी अपनी रिपोर्ट में इसका ब्यौरा कुछ इस प्रकार देते हैं "अब तक संथाल 200–300 % की दर से ब्याज देते आए हैं।"[15]* वहीं रायचौधरी भी लिखते

हैं कि *"संथाल अपनी आवश्यकता की चीजों को प्राप्त करने के लिए आसानी से महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे । एक और जहां महाजन संस्थाओं द्वारा किए गए कर्ज को खतवाही में लिखकर 10 गुना शुद्ध लगते थे वहीं दूसरी ओर संथाल रस्सी की गांठ लगाकर रुपए को याद करते थे और एक बार कर्ज लेने के बाद संस्थाओं को से मुक्त होने की संभावना कम ही होती थी ।"*[16] महाजन जब भी कर्ज की राशि वापस मांगते हैं और संथाल कर्ज चुका पाने में असमर्थ होते तो महाजन संस्थाओं के मवेशी और संपत्ति उठा ले जाते हैं । संथाल अपनी शिकायत थाने में भी नहीं कर सकते थे क्योंकि स्थानीय अधिकारी एवं पुलिस की महाजनों के समर्थक होते थे ! अंततः 30 जून 1855 ई को संथालों नें विद्रोह की शुरुआत कर दी । *इस विद्रोह की व्यापकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस विद्रोह में बंगाल सेना के 10□ सैनिकों ने दमन का कार्य किया था।*[17] *इसी विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हम संथाल परगना जिले का निर्माण पाते हैं।*[18]

निष्कर्ष

इस प्रकार हम पाते हैं कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने के साथ ही झारखंड के इस क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला आरंभ हो गई थी। इन विद्रोहों के विश्लेषण करने से यह स्पष्ट पता चलता है कि सभी विद्रोह के मूल में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी के पश्चात इस क्षेत्र में होने वाले प्रशासनिक एवं सामाजिक परिवर्तन थे । इन परिवर्तनों में ही यहां के आदिवासियों को इतना विवश कर दिया कि आदिवासियों को विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां के आदिवासियों पर नियंत्रित करने हेतु जिन साधनों का उपयोग किया विद्रोह के समय यही साधन अर्थात बाहरी कर्मचारी ठेकेदार एवं जमींदार यही लोग विद्रोह में आदिवासियों के निशाने पर थे । इस प्रकार कंपनी काल में झारखंड का क्षेत्र कभी पूरी तरह से शांत नहीं रह पाया। समय–समय पर यहां के आदिवासी कंपनी सरकार की विरोध में उठ पड़ते थे । यह क्रम 1857 ईस्वी के बाद भी झारखंड क्षेत्र में देखने को मिलता है। कभी बिरसा मुंडा आंदोलन तो कभी टाना भगत आंदोलन के रूप में यहां के आदिवासी ब्रिटिश सरकार का विरोध करते ही रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अयोध्या सिंह, *भारत का मुक्ति संग्राम, प्रकाशन संस्थान,* नई दिल्ली, पृ० सं० 104
2. वही, पृ० सं० 119
3. एल० एस०एस० ओ० मैली, *संताल परगना गजेटियर,* बी० आर०पब्लिशिंग को०, नई दिल्ली, 1984,पृ० 39
4. एस० सी० राय, *आदिम मुंडा और उनका प्रदेश,* क्राउन पब्लिकेसन, राँची, 2010, पृ० सं० 112
5. अयोध्या सिंह, पूर्वोदृत, पृ० सं० 113
6. वही, पृ० सं० 164
7. वही, पृ० सं० 165
8. पी० सी0 रायचौधरी, *बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर- सिंहभूम,* सेक्रेटेरिएट प्रेस बिहार, पटना, 1958, पृ सं० 80.
9. एस० सी० राय, पूर्वोदृत, पृ० सं० 107
10. वही, पृ० सं० 107

11. बी० वीरोत्तम, *झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति*, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ० सं० 214
12. जे० सी० झा, *द कोल इंसरेकशन ऑफ छोटानागपुर*, ठाकेर स्पीक एण्ड को०,1964, पृ० सं० 200
13. रणजीत गुहा, *एलेमेन्टरी आस्पेक्ट ऑफ पिजेन्ट इनसार्जेंसी इन कोलोनीयल इण्डिया*, हयुक यूनिवर्सिटी प्रेस,1999, पृ०स० 132
14. के० के० दत्ता, *द संताल इंसरेक्सन ऑफ 1855–57*, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकत्ता, 1988, पृ०स० 03
15. डब्लू० डब्लू० हंटर, *द अनल्स ऑफ रूलर बंगाल*, स्मिथ एल्डर एण्ड कॉ० लंदन, 1872, पृ०स० 230
16. पी० सी0 रायचौधरी, *बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर- संथाल परगना*, सेक्रेटेटिएट प्रेस बिहार, पटना, 1965, पृ सं०78
17. पीटर स्टेनली, *हूल! हूल!, द सप्रेसन ऑफ द संथाल रेबेलियन इन बंगाल 1855*, ब्लूम्सबरी पब्लिकेसन, नई दिल्ली, पृ०स० 280
18. के० के० दत्ता(स.), *अनरेस्ट अगेन्सट द ब्रिटिश रूल इन बिहार 1831–59*, सुपरिटेंडेंट सेक्रेटेरियट प्रेस,पटना,1957, पृ०स० 28